राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लॉट न. 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांकःपैरामेडि.कौं / 2017 / 1845

दिनांकः–24-10-17

–ःसीमित निविदा सूचनाः–

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में 05 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) ऐजेंसी के माध्यम से अनुबंध पर लेने हेतु कम्प्यूटर मय प्रिंटर तथा ऑपरेटर की दर के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव (दर) आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक ऐजेंसी निविदा प्रपत्र एवं निविदा शर्तें कार्यालय की बेबसाईट www.rajasthanparamedicalcouncil.org से प्राप्त कर अपने प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 30.10.2017 अपरान्ह 2.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। जिन्हें उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोला जावेगा।

रजिस्ट्रार

क्रमांकःपैरामेडि.कौं / 2017 / 1845

दिनांकः 24-10-17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 प्रभारी सर्वररूम को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को आज ही RPMC की वेबसाइट पर अपलोड करें।
2. नोटिस बोर्ड प्लॉट न. 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, लाल कोठी, जयपुर।
3. मैसर्स... ।
4. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लॉट न. 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, लाल कोठी,जयपुर)

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) के लिए सीमित बोली प्रपत्र

1. आवेदक एजेंसी का नाम एवं पता ....

   ....

   टेलीफोन /मोबाइल नम्बर ....
2. आवेदक यदि रजिस्टर्ड संस्था है ....

   तो रजिस्ट्रेशन नं. व तिथि ....

   (रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया ....

   प्रति संलग्न करे।) ....
3. टिन/पैन नं. ....

   (छाया प्रति संलग्न करें)
4. आवेदक यदि वैट/जीएसटी/सर्विस..

   टैक्स में रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन नं. ....

   आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। ....
5. अनुभव (दस्तावेज संलग्न करे) ....
6. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर ....

   (मैन विद मशीन) के लिए मासिक दर ....

   (प्रति मैन विद मशीन)
7. अधिकृत व्यक्ति का नाम व पता ....

   टेलीफोन नम्बर ....

   (पहचान पत्र की छाया प्रति संलग्न करे।) ....
8. अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर ....

हस्ताक्षर बोलीदाता

निविदा की शर्तें

जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे लिखित अनुबंध करना होगा एवं निर्धारित अवधि के भीतर कम्प्यूटर स्थापित करना होगा। अनुबंध की शर्ते निम्न प्रकार होगी :–

1. अनुबंध प्रारम्भ में 6 माह की अवधि के लिये होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे बढ़ाया जाएगा।
2. कम्प्यूटर स्पेशिकेशन : –

   Computer : - Intel Core 13/ Equivalent AMD based Computer or higher Speed, RAM 2@4 GB or Higher, Hard Disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD writer Standard keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, Parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office. Responsibility of software license will be borne by the contractor.

   Printer :- Black and white laser printer with speed 15 ppm or more For Specific need. Dot matrix/inject printer may be taken in lieu of laser printer.

   UPS :- Online/offline UPS for above computer and printer with 30 minutes battery backup.
3. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेशिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेशिकेशन के स्तर में अनुरूप नहीं पाया जायेगा उसे अनुरूप कराया जाएगा।
4. विभाग की किसी भी सूचना का अन्य व्यक्ति का अपने स्तर से आदान प्रदान नहीं करेगा, यदि ऐसा पाया गया तो उसके विरूद्ध अनुबंध तोड़ने के लिए न्यायिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
5. कम्प्यूटर पर किये गये कार्य अधिकारी के आदेशो के बिना डिलिट नहीं करेगा। सेव रखेगा।
6. विभाग के किसी सॉफ्टवेयर को यदि कम्प्यूटर में लोड किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं करेगें।
7. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायेंगा, तत्पश्चात विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
8. किसी भी माह में चार कार्य दिवस से अअधिक कम्प्यूटर बंद नही रखा जावेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक

कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/– रूपये की कटौति की जायेगी।

9. विशेष परिस्थितियों में संबंधित विभाग इस चार दिन की अवधि को बढ़ा सकते है जिसके लिये उसे लिखित में कारण अंकित करेने होगें एवं यदि बढ़ी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह निविदादाता को अन्यत्र स्वयं के खर्चे कर करवा कर देना होगा।

10. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरिके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेंदारी निविदादाता की होगी। इसके लिये किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्म्त करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने कह संभावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।

11. यदि कम्प्यूटर सिस्टम संबंधित विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नही करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त किया जा सकेगा।

12. यदि उपकरणो की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की नहीं होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणो का बीमा करवा सकता है।

13. कम्प्यूटर सेवाओ के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नही किया जावेगा।

14. भुगतान मासिक तौर पर महिना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य किये जाने पर चैक/डी.डी. से किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।

15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा।

मैं उक्त शर्तो से सहमत हूँ तथा इन शर्तो को मानने के लिए बाध्य हूँ।